रजिस्ट्री सं. डीएल—(एन) 04/0007/2003--22

REGISTERED No. DL—(N) 04/0007/2003—22

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-13082022-238072
CG-DL-W-13082022-238072

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 33] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 13—अगस्त 19, 2022 (श्रावण 22, 1944)

No. 33] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 13—AUGUST 19, 2022 (SRAVANA 22, 1944)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

पृष्ठ सं.

भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं. 727

भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं. 621

भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं. 1

भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं. 2421

भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम. .... *

भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ. .... *

भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट. .... *

भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं). .... *

भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं. .... *

भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं). .... *

भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश. .... *

भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं. 6563

भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस *

भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं. .... *

भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं. 115

भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस. 2197

भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूरक. .... *

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

CONTENTS

	Page No.
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	727
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	621
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence..........	1
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	2421
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations..	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	6563
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	*
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	115
PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	2197
PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Folios not received.

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Ordersand Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 11 अगस्त, 2022

सं. 286-प्रेस/2022—राष्ट्रपति, स्वतंत्रता की 75वीं जयंती अर्थात् 15 अगस्त, 2022 का स्मरणोत्सव मनाने के लिए पदक प्रारंभ करते हैं और इसके पक्ष में निम्नलिखित को बनाते है, कानून रूप देते हैं एवं उसे स्थापित करते हैं :—

प्रथमतः—पदक विशिष्ट प्रकार का होगा और इस पर "75वीं स्वतंत्रता जयंती पदक" "75th Anniversary of Independence Medal" (इसके पश्चात पदक के रूप में संदर्भित) के रूप में डिजाइन किया होगा।

द्वितीयतः—पदक गोलाकार आकृति में, 35 मिमी व्यास के साथ ताम्र-निकल निर्मित एवं मानक मजबूती के साथ साधारण समतल और पट्टी युक्त होगा। इस पर घेरा के साथ "स्वतंत्रता की पंचसप्तति जयंती 1947-2022" हिंदी में अभिलेख के साथ इसके ध्येय सहित मुख पृष्ठ पर शासकीय प्रतीक उत्कीर्ण होगा। इसके पट पर घेरा के साथ "75th Anniversary of Independence 1947-2022" अंग्रेजी में अभिलेख के साथ मध्य भाग में अशोक चक्र की प्रतिकृति उत्कीर्ण होगी। पदक का सीलबंद प्रतिरूप धरोहर के रूप में सुरक्षित रखा जाएगा।

तृतीयतः—पदक को दोनों तरफ 10 मिमी की इस्पात धूसर रंगीन पृष्ठभूमि मध्य भाग में प्रत्येक की 4 मिमी चौड़ाई में राष्ट्रीय ध्वज अर्थात् केसरिया, सफेद एवं हरे रंग की पट्टियों के साथ रेशमी पट्टी, द्वारा सीने के बायीं ओर से लटकता हुआ पहना जाएगा।

चतुर्थतः—यह पदक निम्नलिखित बलों के उन कार्मिकों को प्रदान किया जाएगा जो दिनांक 15 अगस्त, 2022 को प्रभावी संख्या में थे।

(i) सेना, नौसेना, वायु सेना के सभी रैंक एवं अन्य रिजर्व बलों प्रादेशिक सेना तथा केंद्र के किसी अन्य सशस्त्र बल के सभी रैंक।

(ii) रेलवे सुरक्षा बल, पुलिस बलों, के सभी रैंकों, केन्द्रीय पुलिस संगठन, सीएपीएफ, अग्निशमन सेवा तथा सरकार द्वारा सामूहिक रूप से विनिर्दिष्ट किसी अन्य संगठन के कार्मिक।

पंचमतः—ताम्र-निकल निर्मित लघु पदक जिसे प्राप्तकर्ताओं द्वारा विशेष अवसरों पर पहना जा सकता है, वह पदक के आकार का आधा होगा और उक्त लघु पदक का सीलबंद प्रतिरूप धरोहर के रूप में सुरक्षित रखा जाएगा।

षष्ठतः—यह राष्ट्रपति का विशेषाधिकार होगा कि वे किसी व्यक्ति के इस पदक को निरस्त और रद्द कर सकते हैं एवं बाद में इसे आरंभ कर सकते हैं।

सप्ततः—सरकार ऐसा अनुदेश निरूपित करने में सक्षम होगी जो इन अध्यादेशों के प्रयोजन को पूरा करने के लिए आवश्यक हो सकता है।

अजय भादू
संयुक्त सचिव

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 21 जुलाई 2022

सं. ई-11015/04/2019-हिन्दी—गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के दिनांक 15.03.1988 के कार्यालय ज्ञापन संख्या-II/20015/45/87 रा.भा. (क-2) के अनुसरण में भारत सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति का पुनर्गठन करने का निर्णय किया है। इस समिति की संरचना, कार्य तथा कार्यकाल आदि निम्नवत होंगेः—

1. मंत्री, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय — अध्यक्ष

2.	राज्य मंत्री, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	उपाध्यक्ष

संसदीय राजभाषा समिति के सदस्य

3.	सुश्री सरोज पाण्डेय, संसद सदस्य (राज्य सभा), 06, तुगलक लेन, नई दिल्ली-110011 स्थायी पताः सुश्री सरोज पाण्डेय, संसद सदस्य (राज्य सभा), 1/ए स्ट्रीट, 7/बी, फेज़-I, मैत्री नगर रिसाली, भिलाई, छत्तीसगढ़-490006	सदस्य
4.	श्री बसंत कुमार पांडा, संसद सदस्य (लोक सभा), 119, साउथ एवेन्यू, नई दिल्ली-110011 स्थायी पताः श्री बसंत कुमार पांडा, संसद सदस्य (लोक सभा), 43, वार्ड नं-5, राजपुर नुआपाड़ा, नवापा रत्नावत, ओडिशा-766105	सदस्य

संसदीय कार्य मंत्रालय के सदस्य

5.	श्रीमती हिमाद्री सिंह संसद सदस्य (लोक सभा), 802, गंगा अपार्टमेंट, डा. बी.डी. मार्ग, नई दिल्ली-110001 स्थायी पताः श्रीमती हिमाद्री सिंह संसद सदस्य (लोक सभा), किरगी, पी.ओ. राजेंद्रग्राम, तहसील-पुष्पराजगढ़, जिला-अनूप्पुर, मध्य प्रदेश-484881	सदस्य
6.	श्री एस. मुनिस्वामी, संसद सदस्य (लोक सभा), 160, साउथ एवेन्यू, नई दिल्ली-110001 स्थायी पताः श्री एस. मुनिस्वामी, संसद सदस्य (लोक सभा), 180, मुनिस्वामी रोड, 1 मेन रोड, बेलाथूल कॉलोनी, पो.ओ. कडुगोड़ी, बेंगलुरु-560067, कर्नाटक	सदस्य

7.	श्री दीपेन्द्र सिंह, संसद सदस्य (राज्य सभा), 15, तालकटोरा रोड, नई दिल्ली-110001 स्थायी पताः श्री दीपेन्द्र सिंह, संसद सदस्य (राज्य सभा), वीपीओ-सांघी, तहसील एवं जिला-रोहतक, हरियाणा-124303	सदस्य
8.	श्री सुमेर सिंह सोलंकी, संसद सदस्य (राज्य सभा), सी-603, स्वर्ण जयंती, सदन, वी. डी. मार्ग, नई दिल्ली-110001 स्थायी पताः श्री सुमेर सिंह सोलंकी, संसद सदस्य (राज्य सभा), जी-1, न्यू ऑफिसर कॉलोनी, बड़वानी, मध्य प्रदेश-451551	सदस्य

राजभाषा विभाग द्वारा नामित गैर-सरकारी सदस्य

9.	डॉ. पी.सी. रायलू पी.सी.आर. चैंबर्स, 240, गांधी रोड, तिरुपति (आ.प्र.)-517501	सदस्य
10.	डॉ. अंशुमान, पुत्र श्री रोहताश सिंह, ग्राम-आदर्श नंगला, जनपद-बागपत (उत्तर प्रदेश)	सदस्य
11.	श्री थालेशेट्टी सुदाकर, फ्लैट नं. 202, प्लॉट नं. 39, एस. वी. एस मैजेस्टिक, एलाय कॉलोनी, पटेल कुन्ता पार्क के सामने, उषा मुल्लापुडी रोड, कुकटपल्ली, हैदराबाद, तेलंगाना-500072	सदस्य

केन्द्रीय सचिवालय हिंदी परिषद द्वारा नामित सदस्य

12.	श्री राकेश कुमार वर्मा, सहायक अभियंता (वै.), उपमंडल-3, विद्युत मंडल-17, 'बी' ब्लॉक, एम.एस. फ्लैट, सेक्टर-13, रामकृष्ण पुरम, नई दिल्ली-110066 स्थायी पताः श्री राकेश कुमार वर्मा, आवास सं.-2, के.लो.नि.वि., सेवा केंद्र-8, रामकृष्ण पुरम, नई दिल्ली-110066	सदस्य

नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा नामित सदस्य

13.	डॉ. अरुणाकर पाण्डेय, प्रधानमंत्री, नागरी प्रचारिणी सभा, ए-16, अरुणा आसफ अली रोड, नई दिल्ली-110067	सदस्य

स्थायी पता:
डॉ. अरुणाकर पाण्डेय,
के-65/22, गोला दीनानाथ,
वाराणसी (उत्तर प्रदेश)
पिन - 221001

अन्य गैर-सरकारी सदस्य (हिन्दी भाषा के विद्वान)

14. श्रीमती रीता नीलेश सिंह, — सदस्य
33104-ए-विंग,
न्यू सनशाईन बिल्डिंग,
यूनिटेक वेस्टर्न कॉम्पलेक्स,
विरार पश्चिम, मुम्बई-401303

स्थायी पता:
श्रीमती रीता नीलेश सिंह,
बी/102, मौली ओंकार 1,
त्रिवेणी नगर, मलाड पूर्व,
मुंबई-400097

15. श्री जाहिद यूनुस खान, — सदस्य
जी-3, जय भारत सीजीएचएस लि.,
बाज़ार रोड, बांद्रा पश्चिम,
मुंबई-400050

स्थायी पता:
श्री जाहिद यूनुस खान,
एफ/610, जमाते जमेरिया सीजीएचएस लि.,.
के.सी. मार्ग, बांद्रा पश्चिम,
मुंबई-400050

16. श्री गजानन जन्भोर, — सदस्य
मनोहर आर्केड, फ्लैट नंबर-203,
चिंतामणि अपार्टमेंट के सामने,
एनआईटी गार्डन के पास, त्रिमूर्ति नगर,
नागपुर, महाराष्ट्र-440022

17. सुश्री सरिता कौशिक, — सदस्य
ए-114,रचना सायनतारा,
हज़ारी पहाड़,
नागपुर, महाराष्ट्र-440007

स्थायी पता:
सुश्री सरिता कौशिक,
101, द पार्क रिगेलिया,
खरे टाऊन, धर्मपेठ,
नागपुर, महाराष्ट्र-440010

राजभाषा विभाग के अधिकारीगण

18. सचिव, — सदस्य
राजभाषा विभाग

19. संयुक्त सचिव, — सदस्य
राजभाषा विभाग

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अधिकारीगण

20.	सचिव, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	सदस्य
21.	अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	सदस्य
22.	संयुक्त सचिव (एआरआई), सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	सदस्य
23.	संयुक्त सचिव (एसएमई), सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	सदस्य
24.	अपर सचिव एवं विकास आयुक्त, विकास आयुक्त (एमएसएमई) का कार्यालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली	सदस्य
25.	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, नई दिल्ली-110020	सदस्य
26.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, मुम्बई, महाराष्ट्र- 400056	सदस्य
27.	अध्यक्ष, कयर बोर्ड, कोच्चि- 682016 (केरल)	सदस्य
28.	महानिदेशक, राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संस्थान, हैदराबाद- 500045 (आंध्रप्रदेश)	सदस्य
29.	निदेशक, महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगीकरण संस्थान (एमगिरी), वर्धा- 442001 (महाराष्ट्र)	सदस्य
30.	संयुक्त सचिव (एएफआई), सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	सदस्य-सचिव

2. कार्य

इस समिति का कार्य सरकारी कार्यों में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित मामलों में मंत्रालय को सलाह देना होगा।

3. कार्यकाल

समिति का कार्यकाल सामान्य रूप से इसके गठन की तारीख से निम्नलिखित शर्तों के अधीन, तीन वर्ष का होगाः-

(क) जो संसद सदस्य इस समिति के सदस्य हैं, वे संसद सदस्य न रहने पर इस समिति के सदस्य नहीं रहेंगे।

(ख) समिति के पदेन सदस्य अपने पद पर कार्य करते रहने तक समिति के सदस्य होंगे।

(ग) यदि किसी सदस्य के त्यागपत्र, मृत्यु आदि के कारण कोई स्थान रिक्त होता है तो उस स्थान पर नियुक्त सदस्य तीन वर्ष के कार्यकाल की शेष अवधि के लिए ही सदस्य रहेंगे।

4. सामान्य

समिति का प्रधान कार्यालय उद्योग भवन, नई दिल्ली में होगा। राजभाषा विभाग के दिनांक 21.01.2021 के का.ज्ञा. सं. 14013/01/2019-रा.भा. (नीति) के अनुसरण में हिंदी सलाहकार समिति की बैठकें दिल्ली क्षेत्र में आयोजित की जानी अपेक्षित हैं।

5. यात्रा तथा अन्य भत्ते

(क) राजभाषा विभाग के दिनांक 03.02.2006 के कार्यालय ज्ञापन सं. II/20034/04/2005-रा.भा. (नीति-2) के तहत समिति में नामित सांसदों को "संसद सदस्य (वेतन, भत्ता एवं पेंशन) अधिनियम, 1954" के प्रावधानों एवं समय-समय पर जारी किए गए संशोधनों तथा उनके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता दिया जाएगा।

(ख) समिति के अन्य गैर-सरकारी सदस्यों को राजभाषा विभाग के दिनांक 22 जनवरी, 1987 के कार्यालय ज्ञापन सं. II/22034/04/86-रा.भा. (क-2) में निहित दिशा-निर्देशों के अनुरूप और भारत सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधित निर्धारित दरों एवं नियमों के अनुसार यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता देय होगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधान मंत्री कार्यालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, मंत्रिमण्डल सचिवालय, योजना आयोग, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/ विभागों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यालय, समिति के सभी सदस्यों और सभी राज्य सरकारों एवं संघ शासित प्रदेशों के प्रशासनों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

अतीश सिंह
संयुक्त सचिव

शिक्षा मंत्रालय
(उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 3 अगस्त 2022

सं.11-9/2019-यू.3(ए) पार्ट—जबकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने उत्कृष्ट संस्था का दर्जा चाहने वाले प्रत्येक मौजूदा या प्रस्तावित संस्था, जो सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में न हो, के लिए यूजीसी (उत्कृष्ट समवत विश्वविद्यालय संस्था) विनियम, 2017 जारी किए थे।

2. और जबकि शिव नाडर यूनिवर्सिटी (इसके बाद 'एसएनयू' के रूप में संदर्भित), ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश ने उत्कृष्ट समवत विश्वविद्यालय संस्था का दर्जा प्रदान करने के लिए 10.12.2017 को अपना आवेदन प्रस्तुत किया था।

3. और इसके अलावा जबकि, आवेदन को इस प्रयोजनार्थ गठित अधिकार प्राप्त विशेषज्ञ समिति (ईईसी) को सौंपने हेतु यूजीसी को अग्रेषित कर दिया गया था। ईईसी ने संस्था द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों के साथ-साथ ईईसी के समक्ष इसके द्वारा 05-04-2018 को दी गई प्रस्तुतियों के आधार पर मूल्यांकन किया था।

4. और जबकि, ईईसी ने समग्र मूल्यांकन के बाद, यूजीसी (उत्कृष्ट समवत विश्वविद्यालय संस्था) विनियम, 2017 के अनुसार एसएनयू को उत्कृष्ट समवत विश्वविद्यालय संस्था का दर्जा प्रदान करने के लिए अनुशंसित किया था। यूजीसी द्वारा 02.08.2019 को आयोजित उनकी 542वीं बैठक में अधिकारप्राप्त विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर विचार किया गया और इसे अनुमोदित किया गया था।

5. और इसके अलावा जबकि, शिक्षा मंत्रालय ने यूजीसी और अधिकारप्राप्त विशेषज्ञ समिति की सिफारिश पर उत्कृष्ट संस्था की योजना के तहत एसएनयू का नाम चिन्हित करते हुए 03.10.2019 को एक आशय पत्र जारी किया था।

6. और जबकि यूजीसी (उत्कृष्ट समवत विश्वविद्यालय संस्था) विनियम, 2017 के खंड 6.4 (ज) के अनुसार, एसएनयू ने योजनाओं के अनुसार दिनांक 30.11.2019 के अपने पत्र के माध्यम से शैक्षिक संचालन शुरू करने के लिए अपनी तैयारी का संकेत दिया था।

7. और जबकि, यूजीसी (उत्कृष्ट समवत विश्वविद्यालय संस्था) विनियम, 2017 के खंड 6.4 (झ) के अनुसार, ईईसी द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ समिति द्वारा 05-06 मार्च, 2020 को शैक्षिक संचालन शुरू करने के लिए आशय पत्र में निर्धारित समय के अनुरूप एसएनयू द्वारा की गई प्रगति का पता लगाने के लिए एसएनयू की तैयारी का मूल्यांकन किया। जबकि, विशेषज्ञ समिति की स्थल दौरा रिपोर्ट 20.03.2020 को अध्यक्ष, ईईसी द्वारा अनुमोदित की गई थी और इसके बाद आयोग द्वारा 14.05.2020 को अपनी 546वीं बैठक में इस पर अनुमोदन हेतु विचार किया गया था।

8. और जबकि, मंत्रालय ने संस्था के साथ यूजीसी (उत्कृष्ट समवत विश्वविद्यालय संस्था) विनियम, 2017 के विनियम 8.6 के अनुसार 16.03.2021 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

9. और जबकि, यूजीसी (उत्कृष्ट समवत विश्वविद्यालय संस्था) विनियम, 2017, के विनियम 17.0 के अनुसरण में यह संस्था अपने नाम के अंत में 'विश्वविद्यालय' शब्द का प्रयोग नहीं करेगी, लेकिन यह अपने नाम के अंत में कोष्ठक में "उत्कृष्ट समवत विश्वविद्यालय संस्था" लिख सकेंगी।

10. अब इसलिए, केंद्र सरकार, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ईईसी और यूजीसी की सिफारिशों पर शिव नाडर यूनिवर्सिटी को 'उत्कृष्ट समवत विश्वविद्यालय संस्था' के रूप में घोषित करती है जिसे इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से शिव नाडर (उत्कृष्ट समवत विश्वविद्यालय संस्था) के रूप में जाना जाएगा।

यह घोषणा निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन है:

i) यह संस्था 'उत्कृष्ट समवत विश्वविद्यालय संस्था' घोषित होने पर यूजीसी (उत्कृष्ट समवत विश्वविद्यालय संस्था) विनियम, 2017, समय समय पर यथा संशोधित के प्रावधानों द्वारा अभिशासित होगी और इन विनियम, 2017 के विनियम 11.1 से 11.6 में निर्धारित विषय क्षेत्रों से संबंधित मामलों में सभी यूजीसी विनियमों और आयोग के अन्य दिशानिर्देशों, अधिसूचनाओं और आदेशों से छूट प्राप्त होगी। संस्थान को यूजीसी (उत्कृष्ट समवत विश्वविद्यालय संस्था) विनियम, 2017 में निहित अतिरिक्त प्रोत्साहन मिलेंगे।

ii) केंद्र सरकार द्वारा यूजीसी (उत्कृष्ट समवत विश्वविद्यालय संस्था) विनियम, 2017 के अनुसार, संस्था को कोई वित्तीय सहायता नहीं दी जाएगी। तथापि, संस्था को विशिष्ट अध्ययन/ परियोजनाओं के लिए आवंटित सरकारी नीधि के उपयोग से मना नहीं किया जाएगा, जिसे वह निष्पादित करे।

iii) उत्कृष्ट समवत विश्वविद्यालय संस्था को उद्योग या पूर्व छात्रों या अन्य अंशदाताओं से संसाधन जुटाने और इसे किसी प्राधिकारी से अनुमति लिए बिना अपनी कार्यान्वियन योजना के अनुसार उपयोग करने की पूर्ण स्वतंत्रता होगी।

iv) इस अधिसूचना के जारी होने के बाद उत्कृष्ट समवत विश्वविद्यालय संस्था की उनकी 15 वर्षीय कार्यनीति योजनाओं के मद्देनजर, अपनी कार्यान्वियन योजनाओं का पालन करने के लिए ईईसी द्वारा नियमित समीक्षा की जाएगी।

v) यह निगरानी और समीक्षा उत्कृष्ट समवत विश्वविद्यालय संस्था के लगातार दो वर्षो या 15 वर्षों तक, जो भी पहले हो, प्रतिष्ठित विश्व रैंकिंग में शीर्ष सौ स्थान प्राप्त करने तक जारी रहेगी। वार्षिक समीक्षा का कार्य, प्रत्येक वर्ष जून तक पूरा कर लिया जाएगा।

vi) उत्कृष्ट समवत विश्वविद्यालय संस्था प्रत्येक वर्ष ईईसी को कार्यान्वियन और कार्यनीति योजनाओं में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में हुई प्रगति के बारे में समिति द्वारा भी विनिर्धारित रूप में जानकारी प्रदान करेगी।

vii) उत्कृष्ट समवत विश्वविद्यालय संस्था अपने कार्यान्वियन और कार्यनीति योजनाओं के अनुपालन से संबंधित वार्षिक सूचना की रिपोर्ट स्वयं तैयार करेगी और इसे सार्वजनिक करेगी।

viii) उत्कृष्ट समवत विश्वविद्यालय संस्था, में नियम 4.2.15 के संदर्भ में इस अधिसूचना के जारी होने के पांच वर्षों के भीतर प्रत्यायन प्राप्त करेगी।

ix) उत्कृष्ट समवत विश्वविद्यालय संस्था राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क में गिनी जाती रहेगी और इस अधिसूचना के 5 वर्ष के भीतर यह प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग इंडेक्स में रैंक प्राप्त करेगी। यह संस्था राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग फ्रेमवर्क में रैंक प्राप्त करना जारी रखेगी।

x) उत्कृष्ट समवत विश्वविद्यालय संस्था छात्रों एवं संकाय की शिकायतों और अनुचित व्यवहार के आरोपों से निपटने के लिए एक लोकपाल की नियुक्ति करेगी। चयनित लोकपाल संस्था या वर्तमान या पिछले प्रबंधन से संबंधित नहीं होना चाहिए और लोकपाल की नियुक्ति से पहले ईईसी की सहमति ली जानी चाहिए। लोकपाल का संपर्क विवरण प्रमुख रूप से परिसर में संस्था की वेबसाइट के होमपेज और विवरण-पुस्तिका में प्रदर्शित किया जाना चाहिए।

xi) उत्कृष्ट समवत विश्वविद्यालय संस्था की प्रत्येक वर्ष चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा लेखापरीक्षा की जाएगी और वित्त वर्ष पूरा होने के 9 महीने के भीतर लेखा परीक्षा रिपोर्ट विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को भेजी जाएगी।

xii) यदि उत्कृष्ट समवत विश्वविद्यालय संस्था 5वें वर्ष या इसके बाद के वर्षों के अंत में लक्ष्यों को पूरा नहीं कर पाती और कार्यान्वियन योजना से, जैसा कि ईईसी द्वारा निर्धारित की गई है, काफी अधिक विचलन होता है, तो ईईसी शिक्षा मंत्रालय को इन विनियमों के अनुसार उपयुक्त कार्रवाई करने की सिफारिश करेगी।

विनीत जोशी
अपर सचिव

श्रम और रोजगार मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 3 अगस्त 2022

सं. क्यू-16012/1/2021ईएसए(एनएलआई)(खण्ड)।—जबकि वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, सेक्टर-24, नोएडा श्रम और रोजगार मंत्रालय का एक स्वायत्त निकाय है। यह संस्थान सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 (पंजाब संशोधन अधिनियम, 1957) के अंतर्गत सोसायटी के रूप में पंजीकृत किया गया है।

तथा जबकि उक्त सोसायटी के नियमों और विनियमों के नियम III में इसके गठन का उपबंध है।

अत:, अब उपरोक्त नियम के अनुसरण में तथा 14-20 मई, 2022 के साप्ताहिक राजपत्र में प्रकाशित दिनांक 07 अप्रैल, 2022 की समसंख्यक अधिसूचना के क्रम में, उक्त सोसायटी की 15वीं महापरिषद में निम्नलिखित सदस्य भी होंगे:-

1.	नियोक्ता संगठन के दो प्रतिनिधि	
	i. श्री अरविंद फ्रांसिस सचिव-समन्वय भारतीय नियोक्ता परिषद	सदस्य
	ii. श्री मुकेश कुमार जैन अखिल भारतीय निर्माता संगठन, एआईएमओ	सदस्य
2.	श्रम अथवा संबंधित क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले चार प्रतिष्ठित व्यक्ति	
	i. श्री सी. के. सजीनारायणन, तृश्शूर, केरल	सदस्य
	ii. प्रोफेसर सुनील माहेश्वरी, प्रोफेसर, आईआईएम अहमदाबाद	सदस्य
	iii. श्री उदय कुमार वर्मा, आईएएस (सेवानिवृत्त), भूतपूर्व सचिव (आईएण्डबी) एवं सदस्य सीएटी/दिल्ली शाखा,	सदस्य
	iv. डॉ. अरुप मित्रा, प्रोफेसर, आर्थिक विकास संस्थान एन्क्लेव, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली।	सदस्य
3.	दो संसद सदस्य (लोक सभा और राज्य सभा से एक-एक)	
	i. श्री सतीश कुमार गौतम संसद सदस्य, लोक सभा	सदस्य
	ii. श्री कामाख्या प्रसाद तासा संसद सदस्य, राज्य सभा	सदस्य

सदस्यों का कार्यकाल महापरिषद के गठन की मूल अधिसूचना की तारीख अर्थात 07 अप्रैल, 2022 से तीन वर्ष के लिए होगा।

रत्नाकर झा
अवर सचिव

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 11th August 2022

No. 286-Pres/2022—The President is pleased to institute a medal to commemorate the 75th Anniversary of Independence viz. 15 Aug 2022, and, in this behalf, to make, ordain and establish the following:—

Firstly—The medal shall be styled and designated "75वीं स्वतन्त्रता वर्षगांठ पदक" "75th Anniversary of Independence Medal")hereinafter referred to as the medal).

Secondly—The medal shall be circular in shape, made of cupro-nickel 35mm in diameter and fitted to a plain horizontal bar with standard fitness. It shall have embossed on its obverse the State Emblem with its motto with the inscription in Hindi "स्वतन्त्रता की पचंसप्तति जयतीं 1947-2022" along the rim. On its reverse it shall have embossed replica of Ashoka's Chakra in the centre with inscription "75th Anniversary of Independence 1947-2022" in English along the rim. A sealed pattern of the medal shall be deposited and kept.

Thirdly—The medal shall be worn suspended from the left breast by a silk Riband of Steel Grey Colour background of 10mm each on either side, strips of National Flag i.e. Saffron, White and Green in width of 4mm each in the centre.

Fourthly—The medal shall be awarded to the personnel of the following forces who were borne on the effective strength on the 15 August 2022.

(i) All ranks of the Army, the Navy, the Air Force and other Reserve Forces, Territorial Army and any other Armed Forces of the union.

(ii) All ranks of the Railway Protection Force, Police Forces, Personnel of Central Police Organization, CAPFs, Fire Service and any other organization specified by the Government collectively.

Fifthly—The miniature medal of cupro-nickel which may be worn on certain occasions by the recipients shall be half the size of the medal and a sealed pattern of the said miniature medal shall be deposited and kept.

Sixthly—It shall be prerogative of the President to cancel and annul the award of the medal to any person and also to restore it subsequently.

Seventhly—It shall be competent for the Government to frame such instruction as may be necessary to carry out purpose of these ordinances.

AJAY BHADOO
Joint Secretary

MINISTRY OF MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISES

New Delhi, the 21st July 2022

No. E-11015/04/2019-Hindi—The Government of India has decided to reconstitute Hindi Salahkar Samiti for the Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises in pursuance of Department of Official Language, Ministry of Home Affairs O.M. No. II/20015/45/87-OL (A-2) dated 15.3.1988. The composition, functions and tenure etc. of the Samiti is given as hereunder: —

1.	Minister, Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises	Chairman
2.	Minister of State, Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises	Vice-Chairman

MEMBERS OF THE COMMITTEE OF PARLIAMENT ON OFFICIAL LANGUAGE

3.	Ms. Saroj Pandey, Member of Parliament (Rajya Sabha), 6, Tuglak Lane, New Delhi-110011 Permanent Address: Ms. Saroj Pandey, Member of Parliament (Rajya Sabha), 1/A, Street, 7/B, Phase-I, Matri Nagar Risali, Bhilai, Chhattisgarh- 490006	Member

4.	Shri Basant Kumar Panda, Member of Parliament (Lok Sabha), 119, South Avenue, New Delhi-110011 Permanent Address: Shri Basant Kumar Panda, Member of Parliament (Lok Sabha), 43, Ward No.-5, Rajpur Nuapada, Nawapa Ratanwat, Odisha-766105	Member

MEMBERS OF M/o PARLIAMENTARY AFFAIRS

5.	Smt. Himadri Singh, Member of Parliament (Lok Sabha), 802, Ganga Apartment, Dr. B. D. Marg, New Delhi-110001 Permanent Address: Smt. Himadri Singh, Member of Parliament (Lok Sabha), Kirgi, P.O. Rajendragram, Teh. Pushprajgarh, Distt. Anuppur, Madhya Pradesh-484881	Member
6.	Shri S. Muniswamy, Member of Parliament (Lok Sabha), 160, South Avenue, New Delhi-110001 Permanent Address: Shri S. Muniswamy, Member of Parliament (Lok Sabha), 180, Muniswamy Road, 1srt Main Road, Belathul Colony, P.O. Kadugodi, Bengaluru, Karnataka-560067	Member
7.	Shri Deependra Singh, Member of Parliament (Rajya Sabja), 15, Taalkatora Road, New Delhi-110001 Permanent Address: Shri Deependra Singh, Member of Parliament (Rajya Sabja), VPO- Sanghi, Tehsil & District, Rohtak, Haryana-124303	Member
8.	Shri Sumer Singh Solanki, Member of Parliament (Rajya Sabha), C-603, Swarn Jyanti Sadan, V D Marg, New Delhi-110001 Permanent Address: Shri Sumer Singh Solanki, Member of Parliament (Rajya Sabha), G-1, New Officers Colony, Barwani, Madhya Pradesh-45155	Member

NON-OFFICIAL MEMBERS NOMINATED BY DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE

9.	Dr. P.C. Rayulu, P C R Chambers, 240, Gandhi Road, Tirupati-517501 (Andhra Pradesh)	Member
10.	Dr. Anshuman, S/o Shri Rohtash Singh, Village- Aadarsh Nangla, Distt.- Bagpat (Uttar Pradesh)-250617	Member
11.	Shri Thalisetty Sudhakar, Flat No. 202, Plot No. 39, SVS Magestic, Allwyn Colony, Opp. Kunta Park, Usha Mullapudi Road, Kukatpalli, Hyderabad, Telangana-500078	Member

MEMBER NOMINATED BY KENDRIYA SACHIVALYA HINDI PARISHAD

12.	Shri Rakesh Kumar Verma, Astt. Engineer (E), Sub-Section-3, Electric Region-17, 'B' Block, M.S. Flats, Sector-13, Ramkrishna Puram, New Delhi-110066 Permanent Address: Shri Rakesh Kumar Verma, H.No. 2, C.P.W.D. Sewa Kendra-8, Ramkrihna Puram New Delhi-110066	Member

MEMBER NOMINATED BY NAGRI PRACHARINI SABHA

13.	Dr. Arunakar Pandey, Pradhanmantri, Nagri Pracharini Sabha, 16-A, Aruna Asaf Ali Road, New Delhi-110067 Permanent Address: Dr. Arunakar Pandey, K-65/22, Gola Dinanath, Varanasi (Uttar Pradesh) PIN – 221001	Member

OTHER NON-OFFICIAL MEMBERS

14.	Smt. Rita Nilesh Singh, 33104-A-Wing, New Sunshine Building, Uniteck Western Complex, Virar West, Mumbai-401303 Permanent Address: Smt. Rita Nilesh Singh, B/102, Mouli Omkar 1, Triveni Nagar, Malda East, Mumbai-400097	Member
15.	Shri Jahid Unus Khan, G-3, Jai Bharat CGS Ltd., Bazzar Road, Bandra West, Mumbai-400050 Permanent Address: Shri Jahid Unus Khan, F/610, Jamate Jameria CHS Ltd. K.C. Marg, Bandra West, Mumbai-400050	Member

16.	Shri Gajanan Janbhor, Manohar Archade, Flat No.- 203, Opposite Chintamani Apartment, Near NIT Garden, Trimurti Nagar, Nagpur-440022 (Maharastra)	Member
17.	Ms. Sarita Kaushik, A-114, Rachna Sayantara, Hazari Pahar, Nagpur, Maharastra-440007 Permanent Address: Ms. Sarita Kaushik, 101, The Park Regaliya, Khare Town, Dharmpetha, Nagpur, Maharastra-440010	Member

OFFICIALS OF DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE

18.	Secretary, Department of Official Language	Member
19.	Joint Secretary, Department of Official Language	Member

OFFICIALS OF MINISTRY OF MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISES

20.	Secretary, Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises	Member
21.	Additional Secretary & Financial Advisor, Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises	Member
22.	Joint Secretay (ARI), Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises	Member
23.	Joint Secretary (SME), Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises	Member
24.	Additional Secretary and Development Commissioner, O/o Development Commissioner (M/o MSME), Nirman Bhavan, New Delhi	Member
25.	Chairman-Cum-Managing Director, National Small Industries Corporation Limited, Okhla Industrial Area, New Delhi-110020	Member
26.	Chief Executive Officer, Khadi and Village Industries Commission, Mumbai- 400056 (Maharashtra)	Member
27.	Chairman, Coir Board, Kochi- 682016 (Kerala)	Member
28.	Director General, National Institute for Micro, Small & Medium Enterprises, Hyderabad- 500045 (Andhra Pradesh)	Member
29.	Director, Mahatma Gandhi Institute for Rural Industrialization (MGIRI), Wardha- 442001 (Maharashtra)	Member
30.	Joint Secretary (AFI), Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises	Member Secretary

2. Functions

The functions of the Samiti will be to advise the Ministry regarding progressive use of Hindi in official work.

3. Tenure

The term of the Samiti will be three years from the date of formation provided that:-

(a) Members of Parliament who are the members of the Samiti shall cease to be members as soon as they cease to be Members of Parliament.

(b) Ex-officio Members of the Samiti shall continue as Members as long as they hold the office by virtue of which they are Members of the Samiti.

(c) If a vacancy arises in the Samiti due to resignation or death of a Member, the Member appointed in that capacity shall hold the office for the residual term for three years.

4. General

Headquarter of the Samiti will be at Udyog Bhawan, New Delhi. In pursuance of O.M. No. 14013/01/2019-O.L. (Policy) dated 21.01.2021 of Department of Official Language, meetings of the Samiti is required to be held in Delhi region.

5. Travelling and other Allowances.

(a) The Members of Parliament nominated in the Samiti will be paid Travelling Allowance and Daily Allowance as per the provisions in the "Members of Parliament (Salary, Allowance & Pension) Act, 1954", amendments issued from time to time and rules made thereunder vide Department of Official Language, Office Memorandum No. II/20034/04/2005-O.L. (Policy-2), dated 03.02. 2006.

(b) Travelling Allowance and Daily Allowance to other non-official members of the Samiti will be paid as per the guidelines contained in the Department of Official Language O.M. No. II/22034/04/86-OL (A-2) dated 22 January, 1987 and in accordance with the prescribed rates and rules, as amended from time to time, by Government of India.

Order

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to the President's Secretariat, the Prime Minister's Office, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Cabinet Secretariat, Planning Commission, all the Ministries and Departments of the Government of India, Office of the Comptroller and Auditor General of India, all the Members of the Samiti and all State Governments and Union Territory Administrations.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for information of general public.

ATEESH SINGH
Joint Secretary

MINISTRY OF EDUCATION
(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)

New Delhi-01, the 3rd August 2022

No. 11-9/2019-U.3(A)Pt.—Whereas, the University Grants Commission (UGC) had issued the UGC (Institutions of Eminence Deemed to be Universities) Regulations, 2017 for every existing or proposed institution, not owned or controlled by Government, seeking for the status of 'Institutions of Eminence'.

2. And whereas, Shiv Nadar University (hereinafter referred as "SNU"), Greater Noida, Uttar Pradesh submitted its application on 10.12.2017 for conferment of 'Institution of Eminence Deemed to be University' status.

3. And further whereas, the application was forwarded to UGC for entrusting it to Empowered Expert Committee (EEC) constituted for the purpose. The EEC conducted its appraisal based on the documents submitted by the Institution as well as the presentations made by it on 05.04.2018 before EEC.

4. And whereas, the EEC, after overall assessment, recommended the name of SNU to be conferred with the status of Institution of Eminence Deemed to be University as per UGC (Institutions of Eminence Deemed to be Universities) Regulations, 2017. The report of Empowered Expert Committee was considered and approved by the UGC in its 542th meeting held on 02.08.2019.

5. And further whereas, the Ministry of Education, on the recommendation of UGC and EEC, issued Letter of Intent on 03.10.2019 identifying the name of SNU under the scheme of Institutions of Eminence.

6. Whereas, as per clause 6.4 (g) of UGC (Institutions of Eminence Deemed to be Universities) Regulations, 2017, SNU indicated its' readiness for commencing academic operations vide its letter dated 30.11.2019 as per the plans.

7. Whereas, as per clause 6.4 (h) of UGC (Institutions of Eminence Deemed to be Universities) Regulations, 2017, the EEC conducted the assessment of readiness of SNU through an Expert Committee appointed by EEC on 05th-06th March, 2020 to ascertain whether the progress made by SNU is commensurate with the time stipulated in the letter of intent for commencing academic operations. Whereas, the Spot Visit Report of the Expert Committee was approved by the Chairman, EEC on 20.03.2020 and subsequently considered and approved by the Commission in its' 546th meeting on 14.05.2020.

8. And whereas, the Ministry signed the MoU with the institution on 16.03.2021 pursuant to regulation 8.6 of UGC (Institutions of Eminence Deemed to be Universities) Regulations, 2017.

9. And whereas, pursuant to regulation 17.0 of UGC (Institutions of Eminence Deemed to be Universities) Regulations, 2017, the Institution shall not use the word 'University' suffixed to its name but may mention the words "Institution of Eminence Deemed to be University" within parenthesis suffixed thereto.

10. Now therefore, in exercise of the powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, on the recommendations of EEC & UGC, hereby declare Shiv Nadar University as an 'Institution of Eminence Deemed to be University' which shall be known as Shiv Nadar (Institution of Eminence Deemed to be University) with effect from the date of issuance of this Notification.

This declaration is subject to the following conditions:

i. The Institution will be, on declaration of being an 'Institution of Eminence Deemed to be University', governed by the provisions of UGC (Institutions of Eminence Deemed to be Universities) Regulations, 2017, as amended from time-to-time, and shall be exempt from all UGC Regulations and other guidelines, notifications and orders of the Commission on matters pertaining to the subject area laid down in Regulation 11.1 to 11.6 of these Regulations, 2017. The Institution will get the additional incentives given in UGC (Institutions of Eminence Deemed to be Universities) Regulations, 2017.

ii. No financial assistance by the Central Government will be provided to the institution as per UGC (Institutions of Eminence Deemed to be Universities) Regulations, 2017. However, this would not exclude the institution for accessing Government funds allocated for specific studies/ projects which it may execute.

iii. The Institution of Eminence Deemed to be University would have the full freedom to mobilize resources from the industry or alumni or other donors and utilize it in accordance with its implementation plan without having to seek any permission from any authority.

iv. Institution of Eminence Deemed to be University shall be reviewed by the EEC regularly after issuance of this Notification for adherence to its implementation plans, keeping in view their fifteen year strategic plans.

v. The monitoring and review shall continue till the Institution of Eminence Deemed to be University gets into top hundred in a world ranking of repute for two consecutive years or till fifteen years, whichever is earlier. The annual review exercise shall be completed by June each year.

vi. The Institution of Eminence Deemed to be University shall inform the EEC every year on the progress made in realizing the goals laid out in the implementation and strategic plans in a manner so prescribed by the Committee.

vii. The Institution of Eminence Deemed to be University shall annually self-report and publicly display the information relating to compliance with their implementation and strategic plans.

viii. Institution of Eminence Deemed to be University shall get accreditation within five years of the Notification in terms of Regulation 4.2.15.

ix. Institution of Eminence Deemed to be University shall continue to be ranked in the National Institutional Ranking Framework and within five years of Notification, shall get itself ranked in an International Ranking index of repute. The Institution shall continue to be ranked in the National and International ranking frameworks.

x. Institution of Eminence Deemed to be University shall appoint an ombudsman to deal with grievances of students and faculty and allegations of unfair practice. The ombudsman selected should be independent of the institution or the management now or in the recent past and concurrence of the EEC shall be taken before appointment of the ombudsman. The contact details of the ombudsman shall be displayed prominently in the campus, on the homepage of the Institutions' website and in the prospectus.

xi. Institution of Eminence Deemed to be University shall be audited every year by a chartered accountant and the audit report shall be sent to the University Grants Commission within nine months of the completion of the financial year.

xii. If the Institution of Eminence Deemed to be University is unable to meet the goals at the end of the fifth and subsequent years, and there are grave deviations, as determined by the EEC, from the implementation plan, the EEC will recommend to the Ministry of Education for taking appropriate actions as per these Regulations.

VINEET JOSHI
Additional Secretary

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

New Delhi, the 1st August 2022

No. Q-16012/1/2021-ESA(NLI)(Pt.).—WHEREAS THE V.V. Giri National Labour Institute, Sector-24, NOIDA is an autonomous body of Ministry of Labour and Employment. The Institute has been registered as a Society under Societies Registration Act 1860 (Punjab Amendment Act, 1957).

AND WHEREAS Rule III of the Rules & Regulations of the said Society provides for its constitution.

NOW, therefore in pursuance to aforesaid Rule and in continuation of the notification of even number dated 07th April, 2022 published in weekly Gazette from 14-20th May, 2022, the 15th General Council of the said Society shall also consist of the following Members:—

1.	Two representatives from Employers' Organisation i. Mr. Arvind Francis Council of Indian Employers ii. Mr. Mukesh Kumar Jain All India Manufacturers' Organisation	Member Member
2.	Four Eminent persons who have made noteworthy contribution in the field of labour or related fields i. Sh. C.K. Sajinarayanan, Thrissur, Kerala ii. Prof. Sunil Maheshwari, Professor, IIM Ahmedabad iii. Shri Uday Kumar Varma, IAS (Retd.), Former Secretary (I&B) & Member CAT/Delhi Branch, iv. Dr. Arup Mitra, Professor, Institute of Economic Growth University Enclave, University of Delhi, Delhi.	Member Member Member Member
3.	Two Members of Parliament (one each from Lok Sabha and Rajya Sabha i. Sh. Satish Kumar Gautam Member of Parliament, Lok Sabha ii. Sh. Kamakhya Prasad Tasa Member of Parliament, Rajya Sabha	Member Member

The term of members shall be for the three years from the date of original notification of the constitution of the General Council i.e. 07th April, 2022.

RATNAKAR JHA
Under Secretary

महाप्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली–110002 द्वारा अपलोड एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली–110054 द्वारा ई–प्रकाशित
UPLOADED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI-110002
AND E-PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054

JAGANATHA N ANANTHA KUMAR Digitally signed by JAGANATHAN ANANTHA KUMAR Date: 2022.08.13 09:41:15 +05'30'